सं.ए-12025/7/2008-प्रशासन-1

भारत सरकार

योजना आयोग

योजना भवन, संसद मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई, 2008

सेवा में,

केन्द्र सरकार के सभी विभाग / राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन / विश्वविद्यालय /मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों

विषयः योजना आयोग में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर 14300-400-18300 रुपये के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार के तीन पदों पर भर्ती ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग), संयुक्त सलाहकार (कृषि) और संयुक्त सलाहकार (शिक्षा) के पद पर संयुक्त पद्धति अर्थात् प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता है। तीनों पद हेतु चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/विश्वविद्यालयों/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अधीन कार्यरत अधिकारियों के साथ-साथ योजना आयोग के विभागीय उप सलाहकार जो संलग्नक में प्रत्येक पद के लिए निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं, के नामों पर एक साथ विचार किया जाएगा। यदि किसी पद हेतु किसी विभागीय उप सलाहकार का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है तो उस पद को पदोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य उम्मीदवारों के मामले में केवल प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जो निर्धारित अवधि के लिए पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा।

3. पद का वेतनमान, प्रत्येक पद से संबद्ध कार्य, पात्रता शर्तें, अर्हता और अनुभव, प्रतिनियुक्ति की अवधि आदि **संलग्नक** में दिए गए हैं ।

4. मंत्रालयों केन्द्र/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विभागों से अनुरोध है कि वे इन रिक्तियों को अपने नियंत्रण के अधीन सभी अधिकारियों तथा अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं और स्वायत्त संगठनों में कार्यरत अधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

5. ऐसे पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन की सूचना मिलने के एक माह के अंदर कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (पाठ्यक्रम ब्यौरे) संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों) में उम्मीदवार द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित तथा कार्यालयाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजें । आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी अग्रेषित करना अपेक्षित है ;-

(i) संवर्ग अनुमति / सुस्पष्ट अनापत्ति ;

(ii) संबंधित उम्मीदवार की पिछले पांच वर्षो की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर अथवा गोपनीय रिपोर्टों की फोटोप्रतियाँ जो कि प्रत्येक पन्ने पर एक ऐसे अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई हों जो भारत सरकार के अवर सचिव से कम स्तर का ना हों;

(iii) किसी अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के स्तर से कम न हो, के द्वारा हस्ताक्षर किया गया सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप**) में ।

(iv) सतर्कता प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**) जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक तथा फौजदारी कार्यवाही न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है, तथा

(v) विगत 10 वर्षो के दौरान उम्मीदवार पर लगाए गए बड़े/ छोटे दंडों की सूची, यदि कोई हो / दंड नहीं प्रमाण पत्र (**संलग्न प्रारूप में**)।

यह ध्यान रखा जाए की उपर्युक्त दस्तावेजों के बिना आवेदन पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा । यह भी सूचित किया जाता है कि पदों की नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा दस्तावेजों सहित आत्मवृत्त का आकलन किया जाएगा ।

6. केवल उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अग्रेषित किए जाएं जिनके विरूद्ध सतर्कता का कोई मामला न हो । इस रिक्ति को शीघ्र ही रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जा रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 60 दिन तक होगी।

7. आवेदक यह सुनिश्चत करें कि उनका आवेदन निर्धारित प्रपत्र में हो और सभी प्रकार से पूर्ण हो । प्रपत्र में कोई भी स्थान रिक्त न हो । "लागू नहीं" अथवा "शून्य" सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उपर्युक्त पैरा 5 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों सहित उचित माध्यम द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अथवा उससे पहले प्राप्त हुए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों अथवा निर्धारित प्रपत्र में नहीं होने पर अथवा अधूरे अथवा अग्रिम रूप में भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. इन रिक्तियों के ब्यौरे लिंक सर्कूलर्स के अंतर्गत योजना आयोग के वेबसाइट http://www.planningcommission.gov.in पर भी उपलब्ध हैं ।

भवदीय,

Sd/-

(एस.केशवा अय्यर)
अवर सचिव , भारत सरकार
दूरभाष : 23096531

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. निजी सचिव (प्रधान सलाहकार (कृषि))/वरिष्ठ सलाहकार (शिक्षा)/ वरिष्ठ सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग) योजना आयोग ।
2. सलाहकार (प्रशासन), योजना आयोग
3. योजना आयोग के सभी उप सलाहकार जिन्होंने संलग्नक में दिए गए प्रत्येक पद हेतु निर्धारित पात्रता की तिथि के अनुसार ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है/कर लेंगे तथा विशिष्ट पदों हेतु आवश्यक अर्हता एवं अनुभव रखते हैं संलग्न प्रपत्र को पूरा कर अधोहस्ताक्षरी को दो प्रतियों में भेज सकते हैं।
4. नोटिस बोर्ड

sd/-

(एस.केशवा अय्यर)
अवर सचिव , भारत सरकार

<u>**सलग्नक**</u>

योजना आयोग में प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग), संयुक्त सलाहकार (कृषि) और संयुक्त सलाहकार (शिक्षा) के पद से संबंधित पात्रता की शर्तों आदि का विवरण।

रिक्तियों के ब्यौरे :

1. वेतनमान : 14300-400-18300 रुपये (प्रत्येक पद के लिए)

2. पद से संबंधित कार्य :

(i) **संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण और लघु उद्योग)**

- ग्रामीण और लघु उद्योग के विकास के लिए मघ्य अवधि और दीर्घ अवधि योजनाएं बनाना ।
- वर्तमान आर्थिक स्थिति, भूगोलीकरण और आर्थिक उदारीकरण, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित परिप्रेक्ष्य, आर्थिक व्यव्स्था के प्रति अंशदान, उद्योग क्षेत्र से अग्रवर्ती और पूर्ववर्ती अनुबंधों इत्यादि को घ्यान में रखते हुए उद्योग और ग्रामीण और लघु उद्योग क्षे्त्र के लिए प्राथमिकताएं और कार्यनीतियॉं बनाना ।
- ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों के अघ्याय तैयार करना ।
- संबंधित मंत्रालयों / राज्य सरकारों के विभागों / संगठनों द्वारा प्रस्तावित उद्योग और ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के स्कीमों / परियोजनाओं का मूल्यांकन / परीक्षण करना और निधियों के जरूरतों का आकलन करना और मंत्रालयों/ राज्य सरकारों के विभागों / संगठनों के वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के योजना परिव्ययों / बजट स्त्रोतो का सिफारिश करना ।
- योजना निधियों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य तय करने के उद्देश्य से स्कीमों / कार्यक्रमों / संगठनों के कार्य संपादन का मूल्यांकन / आकलन के लिए गठित समितियों / समूहों में भाग लेना ।
- ग्रामीण और लघु उद्योग के संबंध में मंत्रीमंडल, मंत्रियों का समूह, व्यय वित समिति, सचिवों के समितियों और मंत्रालयों / विभागों के लिए टिप्पण तैयार करने के लिए प्रस्तावों / परियोजनाओं / स्कीमों इत्यादि का परीक्षण करना तथा टिप्पणियों का मूल्यांकन करना / टीका टिप्पणी तैयार करना ।
- ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में समय-समय पर दिये गये कार्यो / कामकाज में वरिष्ठ अधिकारियों, योजना आयोग के सदस्यों की सहायता करना ।
- ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित सरकारी नियत कार्यो, वरिष्ठ अधिकारियों, योजना आयोग के सदस्यों के आदेशों / निर्देशों को पूरा करने में अधीनस्थ कर्मचारियों को दल के रूप में काम करने हेतु मार्गदर्शन करना ।

- केन्द्र / राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों / कार्यक्रमों / परियोजनाओं / ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र के संगठनों का कार्य संपादन का परीक्षण / निरीक्षण करना तथा योजना निधियों / स्त्रोतों का उपयोगिता का प्रभावोत्पादकता और दक्षता का आकलन करना ।

(ii) **संयुक्त सलाहकार (कृषि)**

संयुक्त सलाहकार (कृषि) प्रधान सलाहकार (कृषि) एवं सलाहकार (कृषि) के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, निदेशन, इत्यादि में कार्य करेंगे । वे जल, भूतल को कवर करते हुए कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के अध्ययनों का आरंभ और भार वहन करेंगे ।

(iii) **संयुक्त सलाहकार (शिक्षा)**

शिक्षा में अनुसंधान एवं अध्ययन करवाना, शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टो / योजना दस्तावेजों को तैयार करना / मूल्यांकन करवाना ।

3. पात्रता : (तीनों पदों के लिए समान)

प्रतिनियुक्ति के लिए (अल्पावधि अनुबंध सहित)

नियमित आधार पर सदृश पद धारित; अथवा 12000-375-16500 रू0 के वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की नियमित सेवा अथवा केन्द्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसन्धान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त संगठनों के अन्तर्गत समतुल्य पद धारित अधिकारी और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हता/अनुभव रखते हों ।

प्रोन्नति हेतु

योजना आयोग के उपसलाहकार जिन्होंने ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और नीचे मद संख्या 6 के सामने यथा-निर्दिष्ट प्रत्येक पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

4. आयु सीमा :

तीनों पदों के लिए प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा इस विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. पात्रता निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि :

(क) संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग) के पद के लिए यह 1/3/2009 होगी ।
(ख) संयुक्त सलाहकार (कृषि) के पद के लिए यह 23/4/2009 होगी ।
(ग) संयुक्त सलाहकार (शिक्षा) के पद के लिए यह 24/5/2009 होगी ।

6.अर्हताएं और अनुभव :

(तीनों पदों के लिए अलग-अलग)

(I) संयुक्त सलाहकार (ग्रामीण तथा लघु उद्योग)

अनिवार्य :

(i) टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समतुल्य से डिग्री या भौतिकी / रसायन / बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री ।
(ii) उद्योग / औद्योगिक विकास / लघु उद्योग / ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने / विकास / क्रियान्वयन / उत्थान में 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) संबंधित क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि अथवा टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य ।
(ii) ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्थान / विकास का अनुभव ।
(iii) ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में उत्थान / विकास के बारे में सरकारी नीतियों /रेगुलेशंस का ज्ञान ।
(iv) ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के समस्याओं तथा उनके दूसरे उद्योगों के साथ तालमेल का ज्ञान ।
(v) ग्रामीण तथा लघु उद्योग के क्षेत्र में नीतियों / प्राजेक्टों / कार्यक्रमों / स्कीमों / योजना संविदा के निर्माण / मूल्यांकन में अनुभव ।

(II) संयुक्त सलाहकार (शिक्षा)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला / विज्ञान / वाणिज्य / शिक्षा में मास्टर डिग्री या समतुल्य या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।
(ii) शिक्षा या अध्ययन के क्षेत्र में अनुसंधान / विकास / योजना बनाने / प्रशासन का 12 वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

(i) कला / विज्ञान / वाणिज्य / शिक्षा में डाक्टरेट की डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

(ii) शैक्षिक विकास और विकास के अन्य क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उद्योग, कृषि आदि के साथ इसकी अन्तरापृष्ट समस्याओं का ज्ञान / जानकारी या उनके संबंध में कार्यवाही करने का अनुभव ।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने या परियोजना रिपोर्टो / योजना दस्तावेजों के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन का अनुभव ।

(III) संयुक्त सलाहकार (कृषि)

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान / विकास / योजना बनाने / कार्यान्वयन का 12 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कृषि उत्पादन में जिला / प्रभाग / परियोजना स्तर पर न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो ।

वांछनीय :

(i) कृषि में डाक्टरेट की डिग्री ।

(ii) कृषि विकास के विभिन्न पहलुओं का और / या क्षेत्र विस्तार सेवा का विविध अनुभव ।

(iii) कृषि विकास / विस्तार के मूल्यांकन / परियोजनाओं / स्कीमों के अंकन का अनुभव ।

7. प्रतिनियुक्ति / अनुबंध की अवधि :

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा अन्य संगठन /विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि है,साधारणतयः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5 जनवरी, 1994 के समय-समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन सं.2/ 29 / 91 -स्था. (पी.2) में निहित आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी तथा अनुबंध पर आने वालों के मामलों में , शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों के साथ परामर्श के बाद निर्धारित किया जाएगा ।

****

प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि अनुबंध सहित) आधार पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदन के साथ अलग से संलग्न किए जाने वाले अपेक्षित विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रपत्र

<u>सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र</u>

वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जांच करने के उपरान्त यह प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, की सत्यनिष्ठा मे कोई संदेह नही है।

(उपसचिव अथवा इससे उच्च स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांक

<u>सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई न तो लंबित है अथवा अवेक्षित है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः

<u>दण्ड नहीं प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि डा0/श्री/श्रीमती/सुश्री....................................... जिन्होंने प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण आधार पर योजना आयोग में संयुक्त सलाहकार (.....................................) के पद हेतु आवेदन किया है, के विरुद्ध पिछले दस सालों के दौरान कोई लघु/मुख्य दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
नाम व कार्यालय मोहरः
दिनांकः